

न्यायालय सहायक कलक्टर, (एस.डी.ओ.) गडरारोड़

पीठासीन अधिकारी :- श्री सुरेश कुमार प्रथम, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या 87/2025

अनवान

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
1. लक्ष्मी नारायण सोनी पुत्र पोकरदास सोनी जाति-सोनी, निवासी-भिसतियों का वास, पटेल चौक, जोधपुर, तहसील व जिला-जोधपुर		1. प्रेमसिंह पुत्र देवीसिंह 2. भाखरसिंह पुत्र देवीसिंह 3. शैतानसिंह पुत्र देवीसिंह 4. रेखादेवी पत्नी देवीसिंह
2. मैसर्स एबीआरईएल (आर जे) प्रोजेक्ट्स लिमिटेड अधिकृत प्रतिनिधि कुशल सिंह पुत्र जोध सिंह जाति-राजपुत, निवासी रणधा, तहसील-फतेहगढ़, जिला-जैसलमेर (वादी संख्या 2 लीज धारक हैं)		जाति-राजपुत, निवासी-करणीनगर, झणकली तहसील-गडरारोड़, जिला-बाड़मेर 5. शाखा प्रबंधक, आर.एम.जी.बी. बैंक, शाखा-हरसाणी 6. श्रीमान तहसीलदार गडरारोड़ एवं पदेन उप पंजीयक हरसाणी/गडरारोड़

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति 1. श्री कंवराज बेनिवाल अधिवक्ता वादीगण
2. राज पेरोकार



--: निर्णय :-

दिनांक :- 26/02/2026

सक्षेप में वाद पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि कि वादी संख्या 1 एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 4 की संयुक्त खातेदारी का खेत ग्राम-करणीनगर, पटवार हल्का झणकली, तहसील-गडरारोड़, जिला-बाड़मेर में स्थित खसरा नम्बर 24 रकबा 12.7880 हैक्टेयर किस्म बा. चा. का आया हुआ है। जिसमें वादी संख्या 1 का खातेदारी हिस्सा 1/2 तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 4 प्रत्येक का खातेदारी हिस्सा 1/8 - 1/8 आया हुआ है। जो राजस्व रेकर्ड में भी पृथक पृथक दर्ज हैं। इसी हिस्सा अनुसार मौके पर पक्षकारान काबिज काश्त हैं किन्तु वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 4 की भूमि राजस्व रेकर्ड में सामलाति होने व विभाजन किया हुआ नहीं होने के कारण वादीगण को अपने हिस्से की भूमि का विकास करने हेतु भारी परेशानियां आने के कारण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 4 अपने परिवार सहित वादीगण के हिस्से की भूमि पर सेढ़े को लेकर अनावश्यक विवाद कर रहे हैं तथा वादीगण को कब्जे काश्त से बेदखल करने व झुठे मुकदमों में फंसाने की ऐलानियां धमकियां भी दे रहे हैं। जबकि वादीगण अपने हिस्से की भूमि का विभाजन करवाने के अधिकारी होने से यह वाद विभाजन का पेश किया गया है।

वाद दर्ज रजिस्ट्रर कर प्रतिवादीगण की तामिली की गई। बाद तामिली प्रतिवादीगण अनुपस्थित रहने से उनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर दिनांक 15.12.2025 को प्राथमिक विक्री इस अमर की सादिर जारी की गई कि ग्राम-करणीनगर, पटवार हल्का झणकली, तहसील-गडरारोड़, जिला-बाड़मेर में स्थित खसरा नम्बर 24 रकबा 12.7880 हैक्टेयर किस्म बा. चा. का वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य माफिक राजस्व रेकर्ड बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन किया जाकर विभाजन प्रस्ताव विभिन्न रंगों में दर्शाते हुए

लगान आदि निश्चित कर तहसीलदार गडरारोड़ से चाहा गया जो तहसीलदार गडरारोड़ द्वारा निम्नानुसार विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

क्र. सं.	नाम खातेदरान	ग्राम का नाम	खसरा संख्या	रकबा	किस्म	लगान	बंरग
1	प्रेमसिंह पुत्र देवीसिंह हिस्सा- 1/4 जाति- राजपूत सा. देह खातेदार भाखरसिंह पुत्र देवीसिंह हिस्सा- 1/4 जाति- राजपूत सा. देह खातेदार शैतानसिंह पुत्र देवीसिंह हिस्सा 1/4 जाति-राजपूत सा. देह खातेदार रेखादेवी पनि देवीसिंह हिस्सा- 1/4 जाति- राजपूत सा. देह खातेदार रहन - प्रेमसिंह व शैतासिंह भाखरसिंह का हिस्सा RMGB शाखा हरसाणी	करणी नगर	24	6.3940	बा.चा.	0.77	काला
	लक्ष्मी नारायण सोनी पुत्र पोकरदास सोनी जाति- सोनी सा भीसतियों का वास पटेल चौक जोधपुर खातेदार	करणी नगर	24	6.3940	बा.चा.	0.76	आसमानी



उक्त विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। उक्त विभाजन प्रस्ताव पर किसी प्रकार की कोई उजर आपति लिखित में या मौखिक रूप में प्राप्त नहीं हुई है तथा वादीगण के अधिवक्ता द्वारा उक्त मामले में उक्त विभाजन के प्रस्ताव अनुसार अंतिम डिक्री सादिर किये जाने का निवेदन किया गया। फलस्वरूप विभाजन की अंतिम डिक्री तहसीलदार गडरारोड़ के विभाजन प्रस्ताव अनुसार एवं उक्त विभाजन प्रस्ताव बाबत किसी प्रकार की उजर आपति प्राप्त नहीं होने से विभाजन की अंतिम डिक्री सादिर किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है अतः विभाजन की अंतिम डिक्री निम्नानुसार सादिर की जाती है -

क्र. सं.	नाम खातेदरान	ग्राम का नाम	खसरा संख्या	रकबा	किस्म	लगान	बंरग
1	प्रेमसिंह पुत्र देवीसिंह हिस्सा- 1/4 जाति- राजपूत सा. देह खातेदार भाखरसिंह पुत्र देवीसिंह हिस्सा- 1/4 जाति- राजपूत सा. देह खातेदार शैतानसिंह पुत्र देवीसिंह हिस्सा 1/4 जाति-राजपूत सा. देह खातेदार रेखादेवी पनि देवीसिंह हिस्सा- 1/4 जाति- राजपूत सा. देह खातेदार रहन - प्रेमसिंह व शैतासिंह भाखरसिंह का हिस्सा RMGB शाखा हरसाणी	करणी नगर	24	6.3940	बा.चा.	0.77	काला
	लक्ष्मी नारायण सोनी पुत्र पोकरदास सोनी जाति- सोनी सा भीसतियों का वास पटेल चौक जोधपुर खातेदार	करणी नगर	24	6.3940	बा.चा.	0.76	आसमानी


राज्य सरकार
गडरारोड़


तहसीलदार गडरारोड़ को इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद और नक्शा ट्रेस मे दुरुस्ती सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते है। विभाजन प्रस्ताव के संलग्न नक्शा निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा तथा बैंक रहन इस निर्णय से अप्रभावित रहेगा ।

निर्णय आज दिनांक 26/02/2026 को लिखा जाकर सर-ए-इजलास सुनाया गया। पत्रावली फ़ैसल सुमार होकर दाखिल दफ़तर हो।



निर्णय आज दिनांक 26/02/2026 को सरे इजलास में सुनाया गया व मुहर अदालत के जारी किया गया।


(सुरेश कुमार प्रथम)
सहायक कलेक्टर
गडरारोड़


सहायक कलेक्टर
गडरारोड़